[2016] 1 एस. सी. आर 216

राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

गोटन लाइम स्टोन खांजी उद्योग प्रा. लिमिटेड और अन्य

(2016 की सिविल अपील संख्या 434)

20 जनवरी, 2016

[न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और अदर्श कुमार गोयल]

राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 – नियम 15 - खनन अधिकार - स्थानांतरण - खनन अधिकार रखने वाली भागीदारी फर्म - फर्म ने, खुद को एक भागीदारी फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के बाद, कंपनी को खनन अधिकार हस्तांतरित करने की मांग की - राज्य द्वारा खनन अधिकार हस्तांतरित - इसके बाद कंपनी, राज्य की अनुमति के बिना, शेयर मूल्य के लिए अपनी संपूर्ण शेयरधारिता किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित कर दी और खुद उसकी सहायक कंपनी बन गई - हस्तांतरण का औचित्य - माना गया: खनन अधिकार राज्य के हैं, पट्टेदार के नहीं और सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत के अनुरूप विनियमित हैं - पट्टेदार के पास ऐसे अधिकारों का व्यापार करके मुनाफाखोरी का कोई अधिकार नहीं है - जनता या राज्य को संबंधित लाभ के बिना निजी लाभ के लिए पट्टे का हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है - मूल पट्टेदार ने झूठी घोषणा देकर स्थानांतरण की मांग की थी - निगम का पर्दा उठाने पर, यह स्पष्ट है कि निगम इकाई का उपयोग वैधानिक सहमति के बिना, किसी तीसरे पक्ष को खनन पट्टे के हस्तांतरण के वास्तविक लेनदेन को छिपाने के लिए किया गया है - ऐसे स्थानांतरण, नियमों का उल्लंघन होने के कारण, शून्य है - खनन पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने या इनकार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने

के लिए राज्य को अपनी नीति बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश - जब तक नीति तैयार नहीं हो जाती और उसके अनुसार राज्य द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

सिद्धांत - निगम के आवरण को हटाने का सिद्धांत - की प्रयोज्यता - माना गया: यह सिद्धांत न केवल कर चोरी को उजागर करने के लिए लागू होता है, बल्कि वहां भी लागू होता है जहां सार्वजनिक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. वर्तमान मामले में दो लेनदेन हैं। पहला लेनदेन फर्म से कंपनी को पट्टे के हस्तांतरण का है। दूसरे लेन-देन में, पूरी शेयरधारिता शेयर की कीमत के लिए स्थानांतरित कर दी जाती है और खनन पट्टे का नियंत्रण, नियंत्रक कंपनी द्वारा पट्टे के लिए किसी भी स्पष्ट कीमत के बिना हासिल कर लिया जाता है। अलग-अलग देखने पर, किसी एक या दोनों लेनदेन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है लेकिन यदि लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को देखा जाए तो अवैधता स्पष्ट है। पट्टा-धारण अधिकार रखने वाली भागीदारी फर्म ने शेयर मूल्य के रूप में विचार के लिए उक्त अधिकारों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया है जो कि खनन पट्टे की बिक्री के लिए कीमत के अलावा कुछ नहीं है, जो कि अनुमत नहीं है और जिसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार, यदि इन तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी को बताया गया होता तो वित्तीय विचार के लिए खनन अधिकारों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। खनन अधिकार राज्य के हैं, पट्टेदार के नहीं और पट्टेदार को ऐसे अधिकारों का व्यापार करके मुनाफाखोरी का कोई अधिकार नहीं है। पट्टेदार, केवल कानूनी रूप से आवश्यक प्राधिकारी की अनुमति से, या तो खदान का संचालन कर सकता है या अभ्यर्पण अथवा हस्तांतरण कर सकता है। वर्तमान मामले में, लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाकर पट्टेदार ने अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल किया है जो

सीधे तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता था। [परिच्छेद 22] [231-जी-एच; 232-ए-डी]

2. किसी कंपनी या उसके सदस्यों के विशिष्ट निगमित व्यक्तित्व के अपवाद के रूप में निगम के आवरण को हटाने का सिद्धांत न केवल कर चोरी को उजागर करने के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है बल्कि जहां सार्वजनिक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है और निगमित इकाई कानूनी दायित्वों से बचने के लिए एक प्रयास है और कल्याणकारी कानून से बचने के लिए पर्दा उठाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में निगमित इकाई का उपयोग वैधानिक सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को खनन पट्टे के हस्तांतरण के वास्तविक लेनदेन को दो अलग-अलग लेनदेन बताकर छिपाने के लिए किया गया है - पहला भागीदारी को कंपनी में बदलने का और दूसरा किसी अन्य कंपनी को संपूर्ण शेयरधारिता की बिक्री। वास्तविक लेन-देन खनन पट्टे की बिक्री है जिसकी कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। इस प्रकार पर्दा उठाने के सिद्धांत को उस कानून को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाना चाहिए जिसे दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। [परिच्छेद 23 और 26] [232-ई-एफ; 235-ई-एफ]

एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर बनाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर में कार्यरत कर्मचारी (1985) 4 एससीसी 114; *यूपी राज्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी* (1988) 4 एससीसी 59: 1988 (1) पूरक एससीआर 627; *दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड* (1996) 4 एससीसी 622: 1996 (2) पूरक एससीआर 295 - पर भरोसा किया।

आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड (1967) 1 एससीआर 934; *यूसी बनाम एस्कॉर्ट लिमिटेड* 1985 (3) पूरक एससीआर 909 :(1986) 1 एससीसी 264; *न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम यूओजे* (1995) 1 एससीसी 478;

विक्टोरियन ग्रेनाइट्स (पी) लिमिटेड बनाम पी. रामा राव और अन्य (1996) 10 एससीसी 665: 1996 (5) पूरक एससीआर 692 - संदर्भित।

पामर की कंपनी लॉ (23वाँ संस्करण) और पेनिंगटन कंपनी विधि (चौथा संस्करण) - संदर्भित।

3. खनन अधिकार राज्य में निहित हैं और पट्टेदार पट्टे की शर्तों से सख्ती से बंधा हुआ है। पूरे लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को समझने के दौरान, अदालत को केवल लेन-देन का रूप ही नहीं देखना है जो शेयरों की बिक्री का है, बल्कि वह सार जो सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य सहमति को दरकिनार करते हुए बिक्री अधिकारों के हस्तांतरण के खिलाफ कानूनी रोक से बचने के लिए खनन अधिकारों की निजी बिक्री है, को भी देखना है। सक्षम प्राधिकारी की सहमति कोई औपचारिकता नहीं है और सहमति के बिना स्थानांतरण शून्य है। राज्य में निहित खनिजों और खनन पट्टे को वैधानिक ढांचे के भीतर सख्ती से संचालित किया जा सकता है। इन आरोपों, का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है, कि शेयरों में निवेश के रूप में 160 करोड़ रुपये की प्राप्ति पट्टे की बिक्री मूल्य के अलावा कुछ नहीं है। जनता को बिना किसी लाभ के खनन पट्टे की ऐसी निजी बिक्री की अनुमति देने की कोई नज़ीर नहीं दी गई है। [परिच्छेद 28 और 30] [236-ई; 237-एफ-जी; 238-ए-बी]

उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (2013) 6 एससीसी 476: 2013 (6) एससीआर 881; *तमिलनाडु राज्य बनाम मिस हिंद स्टोन* 1981 (2) एससीआर पृष्ठ 742: (1981) 2 एससीसी 205; *मोनेट स्पैट एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ*2012 (7) एससीआर 644: (2012) 11 एससीसी 1; *अमृतलाल नाथूभाई शाह बनाम भारत की संघ सरकार* 1977 (1) एससीआर 372: (1976) 4 एससीसी 108; *जियोमिन मिनरल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य* (2013) 7 एससीसी 571 - पर भरोसा किया गया।

अर्नन कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ (2013) 7 एससीसी 1: 2013 (3) एससीआर 508; *बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ* (2002) 2 एससीसी 333: 2001 (5) पूरक एससीआर 511; *वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. बनाम भारत संघ* (2012) 6 एससीसी 613: 2012 (1) एससीआर 573 - अप्रयोज्य ठहराया गया।

विक्टोरिया ग्रेनाइट्स (पी) लिमिटेड बनाम पी. रामा राव और अन्य (1996) 10 एससीसी 665: 1996 (5) पूरक एससीआर 692; *मैक. डॉवेल एंड कंपनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी* (1985) 3 एससीसी 230: 1985 (3) एससीआर 791; *भारत संघ बनाम आज़ादी बचाओ आंदोलन* (2004) 10 एससीसी 1: 2003 (4) पूरक एससीआर 222; आईआरसी बनाम वेस्टमिंस्टर 1936 एसी 1; *डब्ल्यू.टी. रामसे बनाम आईआरसी* 1982 एसी 300 - संदर्भित।

4. चूंकि, खनन अधिकार राज्य में निहित हैं, राज्य को लोगों के सर्वोत्तम हित में ऐसे अधिकारों के हस्तांतरण को विनियमित करना होगा। कोई भी पट्टेदार केवल निजी लाभ के लिए खनन अधिकार बेचने की दृष्टि से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर और संपूर्ण शेयरधारिता के हस्तांतरण की युक्ति अपनाकर खनन अधिकारों का व्यापार नहीं कर सकता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ी गई धारा 12ए(6) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब ऐसी रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाती हैं। [परिच्छेद 31] [238-ई-एफ]

सुलखान सिंह एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 एआईआर 228 = 2016 (1) जेटी 50 = 2016 (1) स्केल 190 - संदर्भित।

5. मूल पट्टेदार ने केवल यह खुलासा करके स्थानांतरण की मांग की थी कि भागीदारी फर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जाना था जिसमें वही साझेदार निदेशक बने रहेंगे और इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचार शामिल नहीं

था। यह विशेष रूप से घोषित किया गया था कि इस प्रक्रिया में कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया जा रहा था जो स्पष्ट रूप से गलत है। उसी आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार यह सत्य के दमन और झूठ की अभिव्यक्ति का मामला था। एक बार जब यह माना जाता है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे का हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी इस मामले में निर्णय लेने के लिए तथ्यों का पूरा खुलासा करने का हकदार था ताकि किसी निजी व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति की कीमत पर लाभ न हो। [परिच्छेद 35][240-ई-जी]

6. नियमों के विपरीत खनन पट्टे का अधिग्रहण शून्य है। केवल अनिवार्य किराया भुगतान करने या समान शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होने के लिए पिछली सहमति की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे औपचारिकता के रूप में लिया जा सकता है । पट्टेदार निजी तौर पर और अनधिकृत रूप से अपने अधिकारों को प्रतिफल के लिए नहीं बेच सकता है और राज्य के अधिकारों से मुनाफाखोरी नहीं कर सकता है। किसी भी विपरीत धारणा के लिए कोई वारंट नहीं है। राज्य को सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए निष्पक्ष और उचित तरीके से पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने या अस्वीकार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। राज्य अवैध तबादलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। [परिच्छेद 33] (240-बी-सी)

गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2014 (5) एससीआर 302: (2014) 6 एससीसी 590 - पर भरोसा किया गया।

7. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी नियंत्रक कंपनी को शेयरधारिता की बिक्री खनन पट्टे की एक निजी अनधिकृत बिक्री है जो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शून्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1-कंपनी का गठन केवल खनन पट्टे

के हस्तांतरण के लिए कानूनी आवश्यकता से बचने और जनता को नुकसान पहुंचाते हुए लेनदेन के पक्षों को निजी लाभ प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था। [परिच्छेद 35] (241-ए-बी)

8. राज्य के पास खनन पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति देने या इनकार करने की अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए एक घोषित नीति होनी चाहिए और ऐसी नीति को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। हालाँकि, किसी नीति के अभाव में और अतीत में शक्ति के प्रयोग के बावजूद, जनता या राज्य के खजाने को संबंधित लाभ के बिना निजी लाभ के लिए पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। हालाँकि, राजस्थान राज्य को इस मामले में अपनी नीति बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान राज्य बनाई गई नीति के आलोक में प्रश्नगत खनन पट्टे के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हो जाता, यथास्थिति बरकरार रखी जा सकती है। [परिच्छेद 34 और 37] 240-सी-डी; 241-ई]

बाचा एफ. गुज़दार बनाम सीआईटी एआईआर 1955 एससी74: 1955 एससीआर 876; *हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य* (1969) 1 एससीसी 765: 1970 (1) एससीआर 995; *इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सचिव, राजस्व विभाग* (1999) 4 एससीसी 458:1999 (2) एससीआर 1078; *अमित प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) सर्कल* (2005) 7 एससीसी 393; *बलवंत राज सलूजा एवं अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य* (2014) 9 एससीसी 407 - संदर्भित।

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

1955 एससीआर 876	परिच्छेद 12 को संदर्भित करता है
1970 (1) एससीआर 995	परिच्छेद 12 ए को संदर्भित करता है
1999 (2) एससीआर 1078	परिच्छेद 12 को संदर्भित करता है

(2005) 1 एससीसी 393	परिच्छेद 12 को संदर्भित करता है
(2014) 9 एससीसी 407	परिच्छेद 12 को संदर्भित करता है
1988 (1) पूरक एससीआर 627	परिच्छेद 24 बी पर भरोसा किया
(1967) 1 एससीआर 934	परिच्छेद 24 संदर्भित।
1985 (3) पूरक एससीआर 909	परिच्छेद 24 को संदर्भित करता है
(1967) 1 एससीआर 934	परिच्छेद 23 को संदर्भित करता है
(1985) 4 एससीसी 114	परिच्छेद 23 को संदर्भित किया गया
1985 (3) पूरक एससीआर 909	परिच्छेद 23 को संदर्भित करता है
(1995) 1 एससीसी 478	परिच्छेद 23 में संदर्भित
1988 (1) पूरक एससीआर 627	परिच्छेद 24 को संदर्भित करता है
1996 (2) पूरक एससीआर 295	परिच्छेद 25 को संदर्भित करता है
1996 (5) पूरक एससीआर 692	परिच्छेद 27 को संदर्भित करता है
2013 (6) एससीआर 881	परिच्छेद 28 को संदर्भित करता है
2013 (3) एससीआर 508	परिच्छेद 28 को संदर्भित किया गया
2001 (5) सप्ल. एससीआर 511	परिच्छेद 28 को संदर्भित करता है
2012 (1) एससीआर 573	परिच्छेद 28 को संदर्भित किया गया
1981 (2) एससीआर 742	परिच्छेद 28 पर निर्भर था
2012 (7) एससीआर 644	परिच्छेद 28 पर निर्भर था
1977 (1) एससीआर 372	परिच्छेद 28 पर आधारित था
(2012) 6 एससीसी 613	परिच्छेद 28 अप्रयोज्य

1985 (3) एससीआर 791	परिच्छेद 30 को संदर्भित करता है
2003 (4) पूरक एससीआर 222	परिच्छेद 30 को संदर्भित करता है
1936 एसी 1	परिच्छेद 30 को संदर्भित करता है
1982 एसी 300	परिच्छेद 30 को संदर्भित किया गया
2014 (5) एससीआर 302	परिच्छेद 31 पर निर्भर था
2016 (1) स्केल 190	परिच्छेद 31 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 434

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. सिविल द्वितीय अपील (रिट) 2015 की संख्या 328 में दिनांक 14.05.2015 के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए अजय कपूर, मिलिंद कुमार, हर्षा विनोय, अनीश रॉय।

प्रत्यर्थियों के लिए दुष्यंत ए. दवे, एम. एल. सिंघवी, महेश अग्रवाल, अंजय कोठारी, अंकुर सहगल, ई. सी. अग्रवाल, ऋषभ पारिख, पी. के. भल्ला, प्रवीण कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति द्वारा

1. अनुमति स्वीकृत। राजस्थान राज्य अपने दिनांक 16 दिसंबर, 2014 के आदेश को रद्द करने से व्यथित है जिसके तहत उसने अपने पूर्व आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को शून्य घोषित कर दिया था और 1993 की खनन पट्टा संख्या 45 को रद्द कर दिया था। उक्त पूर्व आदेश द्वारा उपरोक्त पट्टे को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी।

2. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या लेन-देन के सार को देखते हुए खनन पट्टे का अवैध हस्तांतरण शामिल था? क्या भागीदारी का कंपनी में परिवर्तन और ऐसी कंपनी को पट्टे के अधिकारों का हस्तांतरण, हालांकि स्पष्ट रूप से वैध और अनुमत है,

को संपूर्ण शेयरधारिता के किसी तीसरी कंपनी को कीमत पर हस्तांतरण के अगले लेनदेन के साथ देखा जाना चाहिए, जिससे खनन पट्टे की बिक्री के वास्तविक लेनदेन की घोषणा से बचा जा सके, जिसकी अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न यह है कि क्या इस आधार पर राज्य द्वारा उस पट्टे को रद्द करना उचित है जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

3. तथ्य: मैसर्स. गोटन चूना पत्थर खानजी उद्योग (जीएलकेयू), एक भागीदारी फर्म, ने गांव धाप्पा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में 10 वर्ग किमी क्षेत्र में चूना पत्थर के खनन के लिए 1,42,85,224/- रुपये प्रति वर्ष के निश्चित किराए पर खनन पट्टा लिया था जिसके लिए 8 अप्रैल 1994 से 30 वर्षों के लिए तीसरा नवीनीकरण प्रदान किया गया। उक्त पट्टेदार ने प्रत्यर्थी संख्या 1 यहां मेसर्स गोटन लाइमस्टोन खानजी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (जीएलकेयूपीएल) के पक्ष में पट्टा स्थानांतरण के लिए 28 मार्च, 2012 को आवेदन किया था । दिनांक 28 मार्च, 2012 के आवेदन में कहा गया है कि पट्टेदार एक भागीदारी फर्म थी और पट्टे को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हस्तांतरित करना चाहती थी जो कि खुद को एक भागीदारी फर्म से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करके अपने स्वयं के व्यवसाय के रूप में बदलाव मात्र था। फर्म के साझेदार और कंपनी के निदेशक एक ही थे और स्थानांतरण पर हस्तांतरी से कोई अवैध लाभ, मूल्य या प्रीमियम नहीं लिया गया था। पट्टा 40 वर्ष पुराना था और हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं थी। हस्तांतरी नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उसी आधार पर 25 अप्रैल 2012 को स्थानांतरण की अनुमति दी गई। उक्त अनुमति मांगने के बाद, नवगठित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खनन पट्टे का संचालन स्वयं करने के बजाय अपनी पूरी शेयरधारिता कथित तौर पर 160 करोड़ रुपये में एक अन्य कंपनी को बेच दी, जो कि खनन पट्टे की बिक्री मूल्य बताई गई है।

4. इस घटनाक्रम पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इस आधार पर स्थानांतरण आदेश

को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया था कि स्थानांतरण के लिए आवेदन में दिए गए बयान के विपरीत कि भागीदारी फर्म के भागीदार निजी सीमित कंपनी के निदेशक होंगे, 6 अगस्त, 2012 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक, जो फर्म के भागीदार थे, को नए निदेशकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी (यूटीसीएल) की सहायक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस घटनाक्रम से पता चला यह स्थानांतरण एक साजिश और नियमों को दरकिनार करके सुरक्षित किया गया था।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कारण बताओ नोटिस का विरोध किया। अपने जवाब में, उसने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं मेसर्स जे.के.सीमेंट लिमिटेड (जेकेसीएल) द्वारा दायर 2013 की रिट याचिका संख्या 404 के जवाब में अपने हलफनामे में स्थानांतरण का बचाव किया था। नियमों के तहत किसी कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता को बदलने पर कोई रोक नहीं थी। इस प्रकार, शेयरधारिता का स्थानांतरण और निदेशकों का परिवर्तन खनन पट्टे के हस्तांतरण के समान नहीं था और न ही इससे जीएलकेयू से जीएलकेयूपीएल में स्थानांतरण की अनुमति की वैधता प्रभावित हुई।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस रुख को असंतोषजनक माना गया। तदनुसार, 25 अप्रैल, 2012 के आदेश को रद्द कर दिया गया और 16 दिसंबर, 2014 के आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। यह भी पाया गया कि विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना संशोधित जवाब दायर किया था और उक्त जवाब के अनुसार, स्थानांतरण राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 (नियम) के नियम 15 का उल्लंघन था।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. किरीट सोमैया की शिकायत पर जयपुर मुख्य पुलिस केंद्र में 7 अगस्त, 2014 को एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीएलकेयू ने यूटीसीएल को खनन पट्टा बेच दिया था, जो स्वीकार्य नहीं था और इस तरह खनन विभाग की मिलीभगत से विधि विरुद्ध लाभ

अर्जित किया गया था और राज्य को नुकसान पहुंचाया गया । फर्म के पूर्व साझेदार, जो मूल पट्टेदार थे, ने वास्तव में पट्टे को एस/श्री के.सी. बिड़ला, आर.मेहनोत और एम.बी. अग्रवाल के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया था जिन्होंने यूटीसीएल के कहने पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक का पदभार संभाला।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 21 अप्रैल, 2014 के कारण बताओ नोटिस, 16 दिसंबर, 2014 के आदेश और अन्य परिणामी आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए 2014 की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9669 दायर की। यह प्रस्तुत किया गया कि 25 अप्रैल, 2012 के आदेश में भागीदारी फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पट्टा स्थानांतरण की अनुमति देने का आदेश दिया गया था। उक्त हस्तांतरण के बाद, कंपनी की, कुछ शेयरों को छोड़कर, पूरी शेयरधारिता जुलाई 2012 में प्रमोटर निदेशकों द्वारा यूटीसीएल के पक्ष में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो कुछ निजी व्यक्तियों के साथ यूटीसीएल के संयुक्त नामों में स्थानांतरित किए गए थे जो उक्त कंपनी के कर्मचारी थे। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या 1 यूटीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। निदेशकों को नियंत्रक कंपनी के नामांकित व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जेकेसीएल ने खनन पट्टे के आंशिक हस्तांतरण की अनुमति के लिए एक आवेदन किया था और उसका आवेदन 5 सितंबर, 2012 को खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध 2013 की रिट याचिका संख्या 404 दायर की गई थी। राज्य सरकार ने अपने जवाब में 25 अप्रैल 2012 के अपने आदेश का बचाव किया। दिसंबर, 2013 में विधानसभा चुनाव के बाद, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और राज्य द्वारा एक अलग रुख अपनाते हुए अक्टूबर, 2014 में एक पूरक उत्तर दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि 16 दिसंबर, 2014 के आदेश में नियम 72 की प्रयोज्यता (पट्टे को शून्य मानना) और रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपने जवाब में दिए गए निर्णयों की प्रयोज्यता के संबंध में आपत्तियों का निपटारा नहीं किया गया था। कंपनी की शेयरधारिता और निदेशक पद के स्वरूप में

बदलाव का नियमों के प्रयोजनों के लिए कोई परिणाम नहीं था। 25 अप्रैल, 2012 के आदेश के परिणामस्वरूप खनन अधिकार रिट याचिकाकर्ता कंपनी में निहित हैं और शेयरधारिता या निदेशक पद में स्वरूप में बदलाव से उक्त अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं। शेयरधारक और निदेशक कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं हैं। कंपनी एक अलग इकाई थी और खनन पट्टे पर कंपनी का स्वामित्व था।

9. रिट याचिका का बचाव राज्य द्वारा इस दलील के साथ किया गया था कि सभी निदेशकों और शेयरधारिता को बदलना नियम 15 के उल्लंघन में पट्टे के हस्तांतरण के समान है जो नियम 72 के तहत शून्य था। इस प्रकार, 16 दिसंबर, 2014 का आदेश वैध था।

10. जेकेसीएल, जिसने खनन पट्टे के हिस्से के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था और अपने आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित था, ने रिट याचिका का विरोध करने के लिए एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और उच्च न्यायालय के दिनांक 28 जनवरी, 2015 के आदेश के तहत, उसे रिट याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया था। पक्षकार बनाये गये पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रद्द करने के आदेश का समर्थन किया कि दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के आदेश में एक शर्त यह थी कि स्थानांतरण के दस्तावेज़ को तीन महीने के भीतर निष्पादित किया जाना था जोकि नहीं किया गया। इसके अलावा, नवगठित कंपनी द्वारा संपूर्ण शेयरधारिता का हस्तांतरण जीएलकेयू द्वारा विचारार्थ पट्टे को यूटीसीएल को हस्तांतरित करने का अप्रत्यक्ष तरीका था जो कानूनी रूप से अनुज्ञेय नहीं था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचारार्थ तय किया गया मुख्य विवाद्यक इस प्रकार था:

"क्या कंपनी के शेयरधारकों की अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को अपने शेयर हस्तांतरित करने की कार्रवाई और परिणामस्वरूप, कंपनी अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है, जो नियमों के नियम 15 (1) (बी) का उल्लंघन है, यह विवाद्यक है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।"

12. *बाचा एफ. गुज़दार बनाम सीआईटी[1], हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य[2], इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सचिव, राजस्व विभाग[3], अमित प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) सर्कल[4]* और *बलवंत राज सलूजा एवं अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य[5]* में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

> "सरकारी कंपनियों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, नियंत्रक और सहायक कंपनियों के बीच अंतर-संबंध और एक शेयरधारक और कंपनी के बीच अंतर के बारे में मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल कंपनी के शेयरधारकों की कुछ कार्रवाई के कारण कंपनी अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी बनने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी हद तक वित्त पोषित किया जा रहा है या कंपनी के संचालन या उपक्रमों अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है जिसके संबंध में किसी भी तरह का कोई आरोप या सामग्री नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता-कंपनी के अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी बनने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर जैसा कि यहां पहले देखा गया है, यह नहीं कहा जा सकता

है कि यह स्वतः सिद्ध है कि नियमों के नियम 15(1)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन पट्टेदार यानी याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा किया गया है।"

13. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता और पक्षकार बनाये गये पक्ष जेकेसीएल ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील दायर की जिसे 14 मई, 2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा:

"41. संपूर्ण निगमित व्यवसाय अनुबंधों के माध्यम से चलाया जाता है जो कंपनी को वैधानिक या गैर-वैधानिक अधिकार दे सकता है। एक कंपनी विभिन्न क़ानूनों की वैधानिक योजनाओं, जिसके तहत कंपनी अपना व्यवसाय करती है, के तहत आवेदन कर सकती है और अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र, रियायत और पट्टे की मालिक बन सकती है। ऐसे सभी मामलों में अनुज्ञप्ति, रियायत, किराया और पट्टा कंपनी की संपत्ति है, न कि इसके शेयरधारक की। शेयरधारक बदलते रह सकते हैं और शेयरों के ऐसे हस्तांतरण पर कंपनी में नियंत्रण और प्रबंधन में भी बदलाव हो सकता है लेकिन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र, रियायतें और पट्टे सहित कंपनी की परिसंपत्तियाँ और संपत्तियां कंपनी की ही रहेंगी और ऐसी परिसंपत्तियों का कोई भी अधिग्रहण या हस्तांतरण कंपनी की शेयर-धारिता या कंपनी के प्रबंधन से संबंधित नहीं होगा, जो कंपनी की शेयरधारिता में परिवर्तन पर बदल सकता है।

xxxx

43. हमें विक्टोरियन ग्रेनाइट्स (पी) लिमिटेड बनाम पी.रामा राव और अन्य ((1996) 10 एससीसी 665) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले

पर निर्भरता में कोई सार नहीं मिला जिसमें यह माना गया था कि सामाजिक-आर्थिक न्याय संविधान का आधार है और अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सार्वजनिक संसाधनों को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वितरित किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता और जीवन का सार्थक अधिकार आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। विक्टोरियन ग्रेनाइट्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में विकसित किए जाने वाले सिद्धांतों को प्राकृतिक संसाधन आवंटन में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, 2012 के विशेष संदर्भ संख्या 1 ((2012) 10 एससीसी 1), में 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में फैसले को अलग करते हुए, अनुच्छेद 129 में यह माना गया कि अनुच्छेद 14 के तहत कार्रवाई के पक्ष में कोई संवैधानिक आदेश नहीं है। सरकार बार-बार कार्रवाई के रास्ते से भटकती रही है और उच्चतम न्यायालय ने बार-बार ऐसी कार्रवाइयों को सही ठहराया है। न्यायपालिका ऐसे विचलनों को अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी और निष्पक्षता के सीमित दायरे पर परखती है और उसकी भूमिका उसी सीमा तक सीमित है। अनिवार्य रूप से, जब भी नीति का उद्देश्य राजस्व अधिकतमीकरण के अलावा कुछ और होता है, तो कार्यकारी को नीलामी के अलावा अन्य तरीकों को अपनाने के लिए देखा जाता है।

Xxxxxx

46. यह सामान्य ज्ञान है कि निगमित इकाइयाँ अक्सर शेयर-धारिता स्वरूप में बदलाव से गुजरती हैं। कंपनी विधि इसकी अनुमति देती है और संपूर्ण निगमित जगत ऐसे अनुमत लेनदेन पर चलता है। कंपनी के शेयर हर दिन स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदे और बेचे जाते हैं जिसके

परिणामस्वरूप कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में बदलाव हो सकता है। हालाँकि, परिवर्तन उन अनुबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं जिनके तहत कंपनी को अपना व्यवसाय करना होता है जिसमें संपत्ति, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र, रियायतें और पट्टे का अधिग्रहण शामिल है। यदि विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क स्वीकार किया जाता है, तो शेयर-धारिता स्वरूप में बदलाव से ऐसे सभी अनुबंध रद्द हो जाएंगे, जिससे निगमित जगत में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत शेयरधारकों की सीमित देयता प्रदान करने का पूरा उद्देश्य कानून की ऐसी व्याख्या से प्रभावित होगा और ऐसे मामले में नियन्त्रक कंपनियों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को कंपनी के शेयर-धारिता स्वरूप परिवर्तन के मामले में सहमति और अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। इसलिए हम मेसर्स जे.के. सीमेंट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ता की दलील को अस्वीकार करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर-धारिता स्वरूप में बदलाव के किसी भी परिणाम के कारण यह अल्ट्रा टेक सीमेंट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई जिसके लिए स्थानांतरण के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी या यदि ऐसा प्रस्ताव बनाया जा रहा था तो व्यक्तित्व में बदलाव किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए साझेदारी फर्म को सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

47. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों से पूरी तरह सहमत हैं कि यह सुझाव देने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं

रखी गई है कि साझेदारी फर्म से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खनन पट्टे का हस्तांतरण अंततः शेयरों को अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से किया गया था। उस समय ऐसे किसी डिज़ाइन या प्रयास का सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है जब साझेदारी द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया था।

48. हमें साझेदारी फर्म के साझेदारों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों द्वारा खनन पट्टे के हस्तांतरण में छल या कपट का कोई मामला नहीं मिला जिसके लिए खनन विभाग के अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी हो सकते हैं या उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी ने साझेदारी फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खनन पट्टे के हस्तांतरण से पहले लिखित रूप में सहमति देने में, उसके सामने रखे गए तथ्यों को पूरी तरह से समझा था और कानून के अनुसार कार्य किया था। राज्य सरकार ने रिट याचिका संख्या 40412013 में अपने जवाब में खनन पट्टे के हस्तांतरण के बचाव में सही रुख अपनाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बदलने के साथ ही वफादारी एक व्यापारिक समूह से दूसरे व्यापारिक समूह में बदल गई और राज्य सरकार ने स्थानांतरण की अनुमति को शून्य घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर न केवल कार्रवाई शुरू की, बल्कि अनुमति देने के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी दिया। पट्टा रद्द करने की पूरी कार्रवाई कानूनी दुर्भावना से की गई थी। मेसर्स जे.के.सीमेंट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था जिसमें अल्ट्रा टेक सीमेंट

लिमिटेड द्वारा सीमेंट उत्पादन की क्षमता के विस्तार को रोकने में सहायक मेसर्स जे.के.सीमेंट लिमिटेड के लाभ के लिए कार्रवाई शुरू करने में सरकार के रुख को बदल दिया गया था।

49. यद्यपि हमने पाया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानूनी दुर्भावना पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है लेकिन हमारे सामने रखे गए तथ्य और दिए गए तर्क स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पूरी कार्रवाई कानूनी दुर्भावना के रंग में रंगी हुई थी। स्थानांतरण की अनुमति को अमान्य घोषित करने और खनन पट्टे को रद्द करने का उद्देश्य और आशय राजस्थान राज्य में बिड़ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्वामित्व वाली अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड की व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार को प्रतिबंधित करना था।"

14. जब मामला 18 सितंबर, 2015 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"इस बीच राज्य उन परिस्थितियों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें आम तौर पर खनन पट्टे के हस्तांतरण का आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया किया जाता है। यदि इस संबंध में कोई नीति है तो उसे अभिलेख पर रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई नीति नहीं है तो राज्य यह उल्लेख करेगा कि पिछले दो वर्षों में खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए और वे कारण भी बताने होंगे जिनके लिए उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया था।"

15. तदनुसार, राजस्थान राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि पट्टे के हस्तांतरण को स्वीकार/अस्वीकार करने के संबंध में कोई

विशिष्ट नीति नहीं थी। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। श्री अब्दुल करीम के मामले में, एक पट्टेदार की मृत्यु पर, विधिक उत्तराधिकारियों ने एक साझेदारी बनाई और साझेदारी फर्म के पक्ष में उत्परिवर्तन की मांग की। बाद में पता चला कि साझेदार सेवानिवृत्त हो गए और नए साझेदार शामिल कर लिए गए और इस आधार पर स्थानांतरण को शून्य घोषित कर दिया गया।

16. जेकेसीएल, प्रत्यर्थी संख्या 2, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र रिट याचिका भी दायर की थी, ने उन दस्तावेजों का हवाला दिया है जो यह प्रस्तुत करने के लिए अभिलेख का हिस्सा हैं कि वर्तमान मामले में, जीएलकेयूपीएल द्वारा यूटीसीएल को शेयरों की बिक्री 160 करोड़ रुपये के मूल्य पर खनन पट्टे की बिक्री के अलावा और कुछ नहीं है। यह विचार यूटीसीएल की वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 में जीएलकेयूपीएल के शेयरों में निवेश के रूप में परिलक्षित होता है। इसने उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों/लिखित प्रस्तुतियों में दिए गए कथनों का भी उल्लेख किया है कि जीएलकेयूपीएल को 26 मार्च, 2012 को निगमित किया गया था। 28 मार्च, 2012 को जीएलकेयू द्वारा पट्टे के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया था। अनुमति 25 अप्रैल, 2012 को दी गई थी। स्थानांतरण विलेख 8 अगस्त, 2013 को निष्पादित किया गया था लेकिन 23 जुलाई, 2012 को ही संपूर्ण शेयरधारिता 160 करोड़ रुपये में यूटीसीएल को हस्तांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार 8 अगस्त, 2013 को राज्य की सहमति के बिना हस्तांतरी को यूटीसीएल कर दिया गया। यह स्थानांतरण के नियमों एवं मानक शर्तों के विपरीत था। हस्तांतरण विलेख के परिच्छेद 3(iii) में एक घोषणा है कि हस्तांतरणकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया है। हम उचित समय पर इन पहलुओं का उल्लेख करेंगे।

17. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

18. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या दी गई तथ्यात्मक स्थिति में संपूर्ण शेयरधारिता का स्थानांतरण और एक नवगठित कंपनी, के सभी निदेशकों का परिवर्तन, जिसे पट्टे के अधिकार एक घोषणा द्वारा हस्तांतरित किए गए थे कि यह बिना किसी विचार-विमर्श के साझेदारी व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन मात्र था, इसमें शामिल होने को पट्टे के अनधिकृत हस्तांतरण के रूप में लिया जा सकता है जिसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का विचार है कि नवगठित कंपनी द्वारा यूटीसीएल के पक्ष में संपूर्ण शेयरधारिता की बिक्री, जिसके पास खनन पट्टे के अलावा कोई अन्य संपत्ति या व्यवसाय नहीं था और जीएलकेयूपीएल के निदेशकों के रूप में यूटीसीएल के नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति जीएलकेयूपीएल के नियंत्रण को यूटीसीएल में बदलने के समान नहीं था या यह विचार हेतु खनन पट्टे का हस्तांतरण नहीं करना स्पष्ट रूप से गलत था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शेयरधारिता का हस्तांतरण जीएलकेयूपीएल के गठन के ठीक बाद पट्टा धारक साझेदारी फर्म द्वारा इस घोषणा पर किया गया था कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था और न ही कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल शामिल था, यह स्पष्ट था कि जीएलकेयूपीएल का गठन स्वयं सक्षम प्राधिकारी को वास्तविक लेनदेन का खुलासा किए बिना मौद्रिक विचार के लिए जीएलकेयू से यूटीसीएल को खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए एक उपकरण था। न्यायालय को केवल स्वरूप नहीं बल्कि सार देखना आवश्यक था। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया उनमें केवल कंपनी की पहचान के सामान्य सिद्धांत को शेयरधारकों और निदेशकों से अलग बताया गया था जो लेनदेन की वास्तविक प्रकृति की खोज करने के लिए पर्दे को छेदने के सिद्धांत के अधीन था, जब यह स्पष्ट से अलग था। वर्तमान मामले में, यह केवल शेयरधारिता के हस्तांतरण या निदेशकों के परिवर्तन या यहां तक कि एक नियमित विलय का मामला नहीं था, बल्कि वास्तविक लेनदेन को छिपाकर सक्षम प्राधिकारी को गुमराह करके

अनधिकृत रूप से खनन पट्टा हासिल करने के लिए उपकरण का उपयोग किया गया था। वास्तविक लेन-देन पट्टे की अवैध बिक्री का है जो कंपनी की एकमात्र संपत्ति थी। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया था कि पट्टा बेचा जाना था तो पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया होगा। लाभ कमाने के लिए पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जा सका। इस प्रकार निगम के पर्दा उठाने के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने की सार्वजनिक शक्ति का उपयोग निजी प्रचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो कानून का उल्लंघन करके राज्य द्वारा दिए गए प्राकृतिक संसाधनों में अपने अधिकार बेचते हैं। *विक्टोरियन ग्रेनाइट्स (पी) लिमिटेड बनाम पी. रामा राव और अन्य*[6] पर भरोसा रखा गया है। उच्च न्यायालय ने ध्यान देने के बाद भी फैसले की सराहना नहीं की। पट्टे की नियंत्रण शक्ति को पूरी तरह से विचार के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, इस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी के ज्ञान में लाए बिना, जिसके पास पट्टे को स्थानांतरित करने की शक्ति को अनुमति देने और विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। किसी कंपनी और उसके शेयरधारकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून को लेन-देन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए और विषय से निपटने वाले नियामक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाना चाहिए। राज्य में निहित खनिजों के खनन पट्टों के संबंध में संवैधानिक सिद्धांतों और नियामक व्यवस्था को, लेन-देन की वास्तविक प्रकृति और इस अमूर्त सिद्धांत के ज्ञात अपवादों को अच्छी तरह से विचार किए बिना, शेयरधारकों के पूरे निकाय से अलग निगमित व्यक्तित्व के अमूर्त सिद्धांत से पराजित नहीं किया जा सकता है।

20. प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण शेयरधारिता के हस्तांतरण और निदेशकों के परिवर्तन में पट्टे का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं था और ऐसी स्थिति में हस्तांतरण के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि सही ढंग से

घोषित किया गया था, शेयरधारिता की बिक्री का लेन-देन बिना किसी मौद्रिक विचार के नवगठित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पट्टे के हस्तांतरण से स्वतंत्र था। किसी भी मामले में, पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति थी और केवल अनिवार्य किराया/रॉयल्टी का भुगतान और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन ही विचारणीय था। पट्टे के हस्तांतरण में स्वाभाविक रूप से कुछ भी अवैध नहीं था। उन्होंने वेदांता और बाल्को के मामलों सहित व्यवसाय चलाने वाली कंपनियों के अधिग्रहण और विलय के उदाहरणों का हवाला दिया, जिनका हम बाद में उल्लेख करेंगे।

21. हमने विचाराधीन मुद्दे पर विचारपूर्वक विमर्श किया है।

22. वर्तमान मामले में दो लेनदेन हैं। अलग-अलग देखने पर, दोनों में से किसी एक या दोनों में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को देखा जाए तो अवैधता स्पष्ट है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से फर्म से कंपनी में पट्टे के हस्तांतरण के पहले लेनदेन में, हस्तांतरण की अनुमति मांगते समय केवल साझेदारी व्यवसाय को एक निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने का खुलासा किया गया है, जिसमें, स्थानांतरण पर बिना किसी वित्तीय विचार के और कोई तीसरा पक्ष न होने पर निदेशक के रूप में समान भागीदार होंगे। ऐसे स्थानांतरण में शायद अपने आप में कुछ भी ग़लत नहीं है। दूसरे लेन-देन में, पूरी शेयरधारिता शेयर की कीमत के लिए स्थानांतरित कर दी जाती है और खनन पट्टे का नियंत्रण नियन्त्रक कंपनी द्वारा पट्टे के लिए किसी भी स्पष्ट कीमत के बिना हासिल कर लिया जाता है। तकनीकी रूप से पट्टे के अधिकार नहीं बेचे जाते, केवल शेयर बेचे जाते हैं। पट्टा धारण अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब दोनों लेन-देन के संयुक्त प्रभाव और वास्तविक सार को देखें। पट्टा धारण अधिकार रखने वाली साझेदारी फर्म ने उक्त अधिकारों को शेयर मूल्य के रूप में प्रतिफल के लिए किसी तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दिया है, जो कि खनन पट्टे की बिक्री के लिए कीमत के अलावा और कुछ नहीं है, जिसकी अनुमति नहीं है और जिसके लिए कोई

अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार, यदि इन तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी को बताया गया था तो वित्तीय प्रतिफल के लिए खनन अधिकारों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। खनन अधिकार राज्य के हैं, पट्टेदार के नहीं और पट्टेदार को ऐसे अधिकारों का व्यापार करके मुनाफाखोरी का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में पट्टेदार ने भी ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं किया है। पट्टेदार या तो खदान का संचालन कर सकता है या कानूनी रूप से आवश्यक प्राधिकारी की अनुमति से ही आत्मसमर्पण या हस्तांतरण कर सकता है। वर्तमान मामले में, लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाकर पट्टेदार ने अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल किया है जो प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं किया जा सकता था। क्या यह कानूनी रूप से स्वीकार्य है, यह प्रश्न है।

23. किसी कंपनी या उसके सदस्यों के विशिष्ट निगमित व्यक्तित्व के अपवाद के रूप में निगमित पर्दा उठाने का सिद्धांत न केवल कर चोरी को उजागर करने के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है[7] बल्कि जहां सार्वजनिक हित की सुरक्षा सर्वोपरि है और निगमित इकाई एक प्रयास है कानूनी दायित्वों से बचने के लिए और कल्याणकारी कानून से बचने के लिए पर्दा उठाना आवश्यक है।[8] उन मामलों की श्रेणियों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है जहां पर्दा उठाने की अनुमति है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, विवादित आचरण, सार्वजनिक हित के तत्व की भागीदारी, प्रभावित होने वाले पक्षकारों पर प्रभाव आदि पर निर्भर होना चाहिए।[9]

24. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी*[10] में इस न्यायालय ने कहा:

> *"66. अब यह दोहराने का समय आ गया है कि आधुनिक न्यायशास्त्र के विस्तारित क्षितिज में, निगमित पर्दा उठाना स्वीकार्य है। इसकी सीमाएँ असीमित हैं। हालाँकि, यह मुख्य रूप से स्थिति की वास्तविकताओं पर निर्भर होना चाहिए। कानून का उद्देश्य सभी पक्षों*

को न्याय दिलाना है। निगमित पर्दा उठाने के सिद्धांत का क्षितिज विस्तृत हो रहा है.....

67. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में हमारी राय है कि निगमित पर्दा हटा दिया जाना चाहिए और हिंडाल्को और रेनुसागर को एक चिंता का विषय माना जाना चाहिए और रेनुसागर के बिजली संयंत्र को हिंडाल्को के उत्पादन के अपने स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए और उस आधार पर कर्तव्य के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। परिसर में हिंडाल्को द्वारा ऐसी ऊर्जा की खपत अधिनियम की धारा 3(आई)(सी) के अंतर्गत आएगी। राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कई निर्णयों पर भरोसा किया जिनमें से कुछ को नोट किया गया है।

68. निगमित व्यक्तित्व का पर्दा भले ही कभी-कभी नहीं हटाया जाता है, आधुनिक कंपनी न्यायशास्त्र में अधिक से अधिक पारदर्शी होता जा रहा है। सॉलोमन मामले (1897 एसी 22) का भूत अभी भी कंपनी कानून के घेरे में बार-बार आता है, लेकिन कई मामलों में पर्दा उठ चुका है। इनमें से कुछ को न्यायमूर्ति पी.बी.मुखर्जी ने न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस में नोट किया है (टैगोर लॉ लेक्चर्स, पी.183)।"

25. *दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड*[11] में, यह देखा गया:

"24. निगम का पर्दा उठाना :

एरोन सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897) एसी 22 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था, "कंपनी कानूनन ग्राहक से बिल्कुल अलग व्यक्ति है... और यद्यपि ऐसा हो सकता है कि निगमन के बाद व्यवसाय बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पहले था और वही व्यक्ति प्रबंधक

हैं और उन्हीं हाथों को लाभ मिलता है, कंपनी, कानून में ग्राहकों का अभिकर्ता या उनके लिए न्यासी नहीं है। उस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सीमा और तरीके को छोड़कर, न ही सदस्य के रूप में ग्राहक किसी भी आकार या रूप में उत्तरदायी हैं।" हालाँकि, तब से न्यायालयों ने उक्त नियम के कई अपवादों को मान्यता दी है। हालाँकि उन सभी का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रासंगिक वह है "जब निगमित व्यक्तित्व को धोखाधड़ी या अनुचित आचरण के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा हो"। (गोवर: आधुनिक कंपनी विधि - चौथा संस्करण। (1979) पृष्ठ 137 पर)। पेनिंगटन (कंपनी विधि - 5 वां संस्करण. 1985 पृष्ठ 53 पर) यह भी कहता है कि "जहां सार्वजनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है या जहां कंपनी का गठन कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया गया है", अदालत निगमित आवरण की अवहेलना करेगी। विधि के एक प्रोफेसर, एस. ओटोलेघी ने अपने लेख "निगमित आवरण के पीछे झाँकने से लेकर इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करने तक" में कहा है

"संयुक्त राज्य अमेरिका में 'घूंघट छिदवाने' की अवधारणा ब्रिटेन की तुलना में बहुत अधिक विकसित है। आदर्श वाक्य, जिसे न्यायमूर्ति सैनबोर्न द्वारा निर्धारित किया गया था और तब से कानून के रूप में उद्धृत किया गया है, वह यह है कि 'जब कानूनी इकाई की धारणा का उपयोग सार्वजनिक सुविधा को नष्ट करने, गलत को सही ठहराने, धोखाधड़ी की रक्षा करने या अपराध का बचाव करने के लिए किया जाता है, कानून निगम को व्यक्तियों के संघ के रूप में मानेगा। इसे विभिन्न यूरोपीय न्यायालयों में देखा जा सकता है।

[(1990) 53 एमएलआर 338]। वास्तव में, 1912 में, एक अन्य अमेरिकी प्रोफेसर एल. मौरिस वर्म्सर ने एक शानदार ढंग से लिखे गए लेख "पियर्सिंग द वील ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी" ((1912) 12 सीएलआर 496 में प्रकाशित) में इस विषय पर अमेरिकी निर्णयों की जांच की और निम्नलिखित शब्दों में उनकी केंद्रीय पकड़ का सारांश दिया :

"मामलों के विभिन्न वर्गों, जहां निगमित इकाई की अवधारणा को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और पर्दा हटा दिया जाना चाहिए, की अब संक्षेप में समीक्षा की गई है। कौन सा सामान्य नियम, यदि कोई हो, निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यीकरण का निकटतम सन्निकटन जो प्राधिकारियों की वर्तमान स्थिति की गारंटी देगा वह यह है: जब निगमित इकाई की अवधारणा को लेनदारों को धोखा देने, <u>मौजूदा दायित्व से बचने, किसी क़ानून को दरकिनार करने, एकाधिकार प्राप्त करने या बनाए रखने,</u> या धूर्तता या अपराध की रक्षा करने के लिए नियोजित किया जाता है, अदालतें इकाई के जाल को हटा देंगी, निगमित कंपनी को जीवित, उभरते हुए, पुरुष और महिला शेयरधारकों के संघ के रूप में मानेंगी, और वास्तविक व्यक्तियों के बीच न्याय करेंगी।

25. पामर्स कंपनी विधि में इस विषय पर खंड-/ के भाग-// में चर्चा की गई है। कई स्थितियाँ निर्धारित की गई हैं जहाँ न्यायालय निगमित पर्दे की अवहेलना करेगा। हमारे उद्देश्यों के लिए आठवां अपवाद उद्धृत करना पर्याप्त होगा। यह चलता है:

"अदालतों ने खुद को 'पर्दा उठाने' के लिए तैयार दिखाया है, जहां निगमन के उपकरण का उपयोग किसी अवैध या अनुचित उद्देश्य के लिए किया जाता है... जहां एक भूमि विक्रेता ने अनुबंध के उल्लंघन में भूमि को उस कंपनी को हस्तांतरित करके विनिर्दिष्ट पालन के लिए कार्रवाई से बचने की मांग की, जिसे उसने इस उद्देश्य के लिए बनाया था, अदालत ने कंपनी को महज एक 'दिखावा' माना और विक्रेता और कंपनी दोनों के खिलाफ विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दिया।

कंपनी विधि पर सभी टिप्पणीकारों द्वारा समान विचार व्यक्त किए गए हैं जिनका उल्लेख करना हम आवश्यक नहीं समझते हैं।"

(रेखांकित करना हमारा है)

26. यह स्पष्ट है कि यदि सार्वजनिक हित की आवश्यकता हो या यदि किसी निगमित इकाई के उपकरण का उपयोग करके कानून के उल्लंघन का आरोप हो, पर्दा उठाने का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, निगमित इकाई का उपयोग वैधानिक सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को खनन पट्टे के हस्तांतरण के वास्तविक लेनदेन को दो अलग-अलग लेनदेन बताकर छिपाने के लिए किया गया है - पहला एक कंपनी में साझेदारी को स्थानांतरित करना और दूसरा किसी अन्य कंपनी को संपूर्ण शेयरधारिता की बिक्री। वास्तविक लेन-देन खनन पट्टे की बिक्री है जिसकी कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। इस प्रकार, पर्दा उठाने के सिद्धांत को उस कानून को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाना चाहिए जिसे दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है।

27. विक्टोरियन ग्रेनाइट्स (उपरोक्त) में, यह देखा गया:-

"4. यह सच है कि पी. रामा राव और मागम इंक. द्वारा कानून के अनुपालन का दिखावा किया गया है, ताकि पी. रामा राव के पट्टे के

हितों का हस्तांतरण उनके पक्ष में किया जा सके। कानून के शिकंजे से बचने के लिए सर्वोत्तम कानूनी दिमाग उपलब्ध होगा और लेन-देन को कानून के अनुपालन में दिखाया जाएगा। उस खोज में, रॉयल्टी और अनुज्ञा पत्रों का भुगतान पी. रामा राव के नाम पर रहा। अदालत को प्रक्रिया को भेदना होगा, पर्दा उठाना होगा और उत्पत्ति और प्रभाव तक पहुंचना होगा। संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में परिकल्पना की गई है कि राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीतियों को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। सामाजिक-आर्थिक न्याय संविधान का आधार है। सार्वजनिक संसाधनों को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वितरित किया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता और जीवन का सार्थक अधिकार आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता से जुडा होता है। प्रश्न यह है कि क्या स्थानांतरण उपरोक्त सामान्य भलाई और संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? यह सच है कि जब व्यक्तियों को सरकार से संबंधित संपत्ति के खनन का पट्टा दिया गया है, तो इस तरह के हस्तांतरण का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए खानों पर काम करने के लिए स्वयं या सहकारी समिति या साझेदारी बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थानांतरित व्यक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना था। क्या इस तरह के स्थानांतरण को संवैधानिक दर्शन को दरकिनार करने का एक बहाना बनाया जा सकता है और इस तरह संवैधानिक उद्देश्य को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? उत्तर जाहिर तौर पर नकारात्मक होगा....."

28. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि खनन अधिकार राज्य में निहित हैं और पट्टेदार पट्टे की शर्तों से सख्ती से बंधा हुआ है[12]। प्रतिवादी के विद्वान आधिवक्ता द्वारा उद्धृत *अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ*[13] (वेदांता मामला), *बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन बनाम भारत संघ*[14] (बाल्को मामला) और *वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. बनाम भारत संघ*[15]के मामलों का कोई अनुप्रयोग नहीं है यदि एक बार वर्तमान मामले में वास्तविक लेनदेन स्पष्ट लेनदेन से भिन्न पाया जाता है। वास्तव में, वोडाफोन मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून का सिद्धांत कि अदालत वास्तविक लेनदेन को देख सकती है, प्रत्यर्थी के खिलाफ जाता है।

29. वेदांता मामले (उपरोक्त)[16] में केयर्न एनर्जी लिमिटेड (सीआईएल) में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी और ओएनजीसी को सीआईएल के शेयरों पर अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सीआईएल में ओएनजीसी की हिस्सेदारी को एक निजी कंपनी वेदांता को हस्तांतरित करने को सार्वजनिक हित के विपरीत बताते हुए आगे चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने माना कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं पर विधिवत विचार किया गया है और यह न्यायालय इस प्रकार लिए गए वाणिज्यिक और व्यावसायिक निर्णयों पर निर्णय नहीं दे सकता है। बाल्को मामले (उपरोक्त) में पहले के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अदालतें न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के आर्थिक निर्णयों और आर्थिक नीतियों के ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। ये निर्णय उन स्थितियों के संदर्भ में हैं जहां सर्वोच्च सार्वजनिक अधिकारियों ने सभी तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया था जिन मामले में न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं था। मौजूदा मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान मामले में, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को यह भी पता नहीं था कि खनन पट्टा यूटीसीएल को

हस्तांतरित किया जा रहा है और जनता को किस कीमत पर या किस लाभ के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है।

30. वोडाफोन मामले (उपरोक्त)[17] में, विवाद आयकर विभाग द्वारा एचईएल द्वारा वोडाफोन को सीजीपीए नामक कंपनी की शेयर पूंजी की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के दावे से उत्पन्न हुआ। प्रश्न यह था कि क्या भारत में आय अर्जित की गई। राजस्व के दावे को नकारते हुए, यह माना गया कि लेनदेन भारत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर हुआ और कर योग्य नहीं था। इस न्यायालय ने कहा कि "लेनदेन की कानूनी प्रकृति का पता लगाना न्यायालय का काम है और ऐसा करते समय उसे संपूर्ण लेनदेन को समग्र रूप से देखना होगा न कि विच्छेदित दृष्टिकोण अपनाना होगा।"[18] इस प्रकार निष्कर्ष में, न्यायालय ने *मैक डॉवेल एंड कंपनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी*[19] और *भारत संघ बनाम आजादी बचाओ आंदोलन*[20] में पहले के निर्णयों में स्पष्ट विरोधाभासी दृष्टिकोण को *आईआरसी बनाम वेस्टमिंस्टर*[21] और *डब्ल्यू. टी. रामसे बनाम आईआरसी*[22] में अंग्रेजी निर्णयों के संदर्भ में समेट लिया इस प्रश्न से निपटते हुए कि क्या न्यायालय को अंकित मूल्य पर लेनदेन स्वीकार करना चाहिए या नहीं। इस प्रकार, पूरे लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को समझने के दौरान, न्यायालय को केवल लेन-देन का रूप ही नहीं देखना है जो शेयरों की बिक्री का है, बल्कि इसमें वह तत्व भी है जो खनन अधिकारों की निजी बिक्री है, जो सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य सहमति को दरकिनार करते हुए बिक्री अधिकारों के हस्तांतरण के खिलाफ कानूनी रोक से बचता है। सक्षम प्राधिकारी की सहमति कोई औपचारिकता नहीं है और सहमति के बिना स्थानांतरण शून्य है। राज्य में निहित खनिजों और खनन पट्टे को वैधानिक ढांचे के भीतर सख्ती से संचालित किया जा सकता है। इस आरोप का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि शेयरों में निवेश के रूप में 160 करोड़ रुपये की प्राप्ति पट्टे की बिक्री मूल्य के अलावा कुछ नहीं है। जनता को बिना किसी लाभ के खनन पट्टे की ऐसी निजी बिक्री की अनुमति देने की कोई नज़ीर नहीं दी गई है।

31. हाल के दिनों में खनन पट्टों की नियामक व्यवस्था में अवैधताओं और कमियों के गंभीर आरोप लगे हैं। जैसा कि गोवा फाउंडेशन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने उल्लेख किया है, भारत सरकार ने पट्टों के अनुदान और हस्तांतरण सहित अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम.बी.शाह को नियुक्त किया। यह सार्वजनिक ज्ञान का विषय है कि न्यायमूर्ति शाह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के मद्देनजर, नीतिगत ढांचे और वैधानिक प्रावधानों में विभिन्न स्तरों पर बदलाव हुए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों में पट्टा अधिकारों के अनुदान और नवीनीकरण का साधन और तरीका शामिल है। इस पहलू के एक पक्ष पर हमने अपने दिनांक 04 जनवरी, 2016 के आदेश में 2015 की सिविल अपील संख्या 4845-4846 में शीर्षक *सुलेखन सिंह एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* से चर्चा की है। चूँकि, खनन अधिकार राज्य में निहित हैं, राज्य को लोगों के सर्वोत्तम हित में ऐसे अधिकारों के हस्तांतरण को विनियमित करना होगा। कोई भी पट्टेदार केवल निजी लाभ के लिए खनन अधिकार बेचने के उद्देश्य से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर और संपूर्ण शेयरधारिता के हस्तांतरण की युक्ति अपनाकर खनन अधिकारों का व्यापार नहीं कर सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। हम नोट कर सकते हैं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ी गई धारा 12ए(6) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब ऐसी रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाती हैं।

32. इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता की यह दलील कि पट्टेदार के पास केवल औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन पट्टा हस्तांतरित करने का निहित अधिकार है, को सही नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुतीकरण कानून की योजना के विपरीत है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि खनन अधिकार राज्य में निहित हैं और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत के अनुरूप विनियमित हैं। नियम सक्षम प्राधिकारी

की लिखित पूर्व सहमति के बिना विचार हेतु खनन पट्टे के हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं[23]। मूल पट्टेदार ने हस्तांतरण की मांग करते समय घोषणा की थी कि कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था, जो स्पष्ट रूप से सही होने के बावजूद वास्तव में गलत था क्योंकि शेयरों की बिक्री का बाद का लेनदेन निजी कंपनी को पट्टे के हस्तांतरण के पहले लेनदेन का अभिन्न अंग था जो इसके तुरंत बाद एक अन्य कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। सार का पता लगाने के लिए उक्त वास्तविक लेन-देन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

33. इस प्रकार नियमों के विपरीत खनन पट्टे का अधिग्रहण शून्य है। केवल अनिवार्य किराया भुगतान करने या समान शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होने के लिए, पूर्व सहमति की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे औपचारिकता के रूप में लिया जा सकता है।पट्टेदार निजी तौर पर और अनधिकृत रूप से अपने अधिकारों को प्रतिफल के लिए नहीं बेच सकता है और राज्य के अधिकारों से मुनाफाखोरी नहीं कर सकता है। किसी भी विपरीत धारणा के लिए कोई वारंट नहीं है। राज्य को सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए उचित और युक्तियुक्त तरीके से पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति देने या अस्वीकार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। इस न्यायालय ने माना है कि राज्य अवैध हस्तांतरणों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता[24]।

35. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वर्तमान मामले में, मूल पट्टेदार ने केवल यह खुलासा करके स्थानांतरण की मांग की थी कि साझेदारी फर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जाना था, जिसमें वही साझेदार निदेशक बने रहेंगे और इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल शामिल नहीं था। यह विशेष रूप से घोषित किया गया था कि इस प्रक्रिया में कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया जा रहा था जो स्पष्ट रूप से गलत है। उसी आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में पट्टा हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, यह सत्य के दमन और झूठ की अभिव्यक्ति का

मामला था। एक बार जब यह माना जाता है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे का हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी मामले में निर्णय लेने के लिए तथ्यों का पूरा खुलासा करने का हकदार था ताकि सार्वजनिक संपत्ति की कीमत पर किसी निजी व्यक्ति को लाभ न हो। मूल पट्टेदार ने यह खुलासा नहीं किया कि वास्तविक उद्देश्य केवल अपने साझेदारी व्यवसाय को एक निजी लिमिटेड कंपनी में बदलना नहीं था, जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि पट्टे को किसी तीसरे पक्ष को बिक्री द्वारा निजी तौर पर हस्तांतरित करना था। यह पहलू उच्च न्यायालय की नजरों से भी बच गया है। तदनुसार, निर्धारित किए गए प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, जीएलकेयूपीएल द्वारा यूटीसीएल को शेयरधारिता की बिक्री खनन पट्टे की एक निजी अनधिकृत बिक्री है जो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शून्य है। जीएलकेयूपीएल का गठन केवल खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए विधिक आवश्यकता से बचने और जनता के नुकसान पहुंचाकर लेन-देन के पक्षों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है।

36. विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ कानून के केवल एक पहलू से चले हैं, यानी सामान्य सिद्धांत कि शेयरों की बिक्री स्वयं संपत्ति की बिक्री नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत कानून की नीति को प्रभावी बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, निगमित आवरण को भेदने के सिद्धांत के अधीन है। वर्तमान मामले में, यह सिद्धांत वास्तविक लेन-देन को छुपाने के लिए शेयरों के हस्तांतरण के रूप में स्पष्ट रूप से लागू होता है, जो वैधानिक रूप से आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना विचार के लिए खनन पट्टे की बिक्री है। वैधानिक आवश्यकता को इस दलील के साथ दूर करने की मांग की गई है कि यह केवल शेयरधारिता के हस्तांतरण का लेनदेन था जबकि प्रत्यक्ष तौर पर लेनदेन स्पष्ट रूप से खनन पट्टे की बिक्री का है। उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

37. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाता है। हालाँकि, हम राजस्थान राज्य को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मामले में अपनी नीति बनाने और अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद एक महीने के भीतर राजस्थान राज्य तैयार की गई नीति के आलोक में प्रश्नगत खनन पट्टे के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हो जाता, यथास्थिति बरकरार रखी जा सकती है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नरेन्द्र नारायण शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****

[1] एआईआर 1955 एससी 74

[2] (1969) 1 एससीसी 765

[3] (1999) 4 एससीसी 458

[4] **(2005) 1 एससीसी 393**

[5] **(2014) 9 एससीसी 407**

[6] **(1996) 10 एससीसी 665**

[7] **(1967) 1 एससीआर 934 - आयकर आयुक्त मद्रास बनाम श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड**

[8] **(1985) 4 एससीसी 114 - एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड में कार्यरत श्रमिक, भावनगर बनाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर**

[9] **(1986) आई एससीसी 264 (एलआईसी बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड) जो न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम यूओआई (1995) 1 एससीसी 478 में अपनाए गए पामर कंपनी कानून (23वां संस्करण) और पेनिंगटन कंपनी कानून (चौथा संस्करण) को संदर्भित करता है।**

[10] **(1988) 4 एससीसी 59**

[11] **(1996) 4 एससीसी 622**

[12] (2013) 6 एससीसी 476 (उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय) -परिच्छेद 58; (1981) 2 एससीसी 205 (तमिलनाडु राज्य बनाम मिस हिंद स्टोन) -परिच्छेद 37; (2012) 11 एससीसी 1 (मोनेट एलस्पैट एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)-परिच्छेद 41; (1976) 4 एससीसी 108 (अमृतलाल नाथूभाई शाह बनाम भारत सरकार); (2013) 7 एससीसी 571 (जियोमिन मिनरल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य)

[13] **(2013) 1 एससीसी 1**

[14] **(2002) 2 एससीसी 333**

[15] **(2012) 6 एससीसी 613**

[16] **(2013) 7 एससीसी 1-परिच्छेद 1**

[17] **(2012)6 एससीसी613-पी 179**

[18] **परिच्छेद 64**

[19] **(1985) 3 एससीसी 230**

[20] **(2004) 10 एससीसी 1**

[21] **1936 एसी 1**

[22] **1982 एसी 300**

[23] 23 "नियम 15. खनन पट्टे का स्थानांतरण.- (1) पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना नहीं करेगा-

(ए) खनन पट्टे या उसमें किसी भी अधिकार या हक़ या हित को सौंपना, उप-किराए पर देना, गिरवी रखना या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करना, या

(बी) कोई ऐसी व्यवस्था, अनुबंध या समझौता करना या करना जिसके तहत पट्टेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी हद तक वित्तपोषित होगा या हो सकता है, या जिसके तहत पट्टेदार के संचालन या उपक्रमों को पट्टेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बशर्ते कि चिनाई पत्थर का पट्टाधारी, संबंधित एमई/एएमई की पूर्व अनुमति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उसमें निर्दिष्ट कर सकता है, किसी भी सरकारी ठेकेदार को निर्माण कार्य पूरा होने तक पत्थर गिट्टी क्रशर स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दे सकता है।

बशर्ते कि ऐसी अनुमति एमई/एएमई द्वारा पट्टेदार की पंजीकृत सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाएगी और इस शर्त पर भी कि क्रशर मालिक केवल संबंधित पट्टा क्षेत्र से उत्पादित चिनाई पत्थर का उपयोग करेगा।

परन्तु यह भी कि जहां आवश्यक हो, ऐसी अनुमति जारी करने से पूर्व राजस्व एवं अन्य विभागों की अनुमति भी ली जा सकेगी। (1ए) खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ [संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के लिए 5000/- रु. और 2000/- अन्य खनिजों के लिए का] शुल्क संलग्न किया जाएगा और खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता को जमा किया जाएगा। (1एए) सरकार नियम 11(2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सरकारी हस्तांतरण प्रीमियम [मौजूदा अनिवार्य किराए के बराबर] के भुगतान पर पट्टे के पूरे क्षेत्र को किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है ;

बशर्ते कि पट्टा अनुदान की तारीख से कम से कम दो साल तक लागू रहे।

बशर्ते कि यदि अंतरणकर्ता या अंतरिती के विरुद्ध कोई बकाया हो तो ऐसा अंतरण नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि जहां बन्धक-ग्रहीता कोई राज्य संस्था या बैंक या राज्य निगम है, वहां पट्टेदार के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। हालाँकि, पट्टेदार को बंधक या कार्यभार की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किसी भी राज्य संस्थान, बैंक या राज्य निगम के पक्ष में किसी भी बंधक के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

(2) खनन पट्टा 17 के हस्तांतरण के लिए आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा: [xxx]

बशर्ते कि नियम 7 के उप-नियम (3) में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों को दिए गए खनन पट्टे का हस्तांतरण केवल उक्त उप-नियम के खंड में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को ही किया जाएगा।

(3) खनन पट्टे का हस्तांतरण अधिकार का मामला नहीं माना जाएगा और सरकार ऐसे हस्तांतरण के लिए कारणों को दर्ज करके और पट्टेदार को लिखित रूप में सूचित करके इनकार कर सकती है।

(4) जहां इस नियम के तहत खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे पट्टे के लिए सहमति दी है, फॉर्म संख्या 15 या यथासंभव निकट के फॉर्म में एक

हस्तांतरण पट्टा विलेख, सहमति की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुमति दे सकता है" निष्पादित किया जाएगा।

"नियम 72. खनन कार्य पट्टे या लाइसेंस के तहत होंगे। - कोई भी खनन पट्टा, खदान लाइसेंस, अल्पावधि-अनुज्ञापत्र या कोई अन्य अनुज्ञा-पत्र इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा प्रदान नहीं किया जाएगा और यदि दिया जाता है तो उसे अमान्य और शून्य माना जाएगा।"

[24] (2014) 6 एससीसी 590 (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ) - परिच्छेद 60